न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

उपस्थितः श्री राजेश कुमार सिंह ...(उच्चतर न्यायिक सेवा) UP2017

सत्र परीक्षण सं०–417/1996

(CNR No.UPBH010000421995)

राज्य उ०प्र०––––   –––––अभियोगी।

प्रति

अरसी आयु 54 वर्ष पुत्र अब्दुल कुद्दूस, निवासी–बड़ीहाट, थाना–कोतवाली नगर, जनपद–बहराइच–––   –––––––अभियुक्त।

अपराध संख्या–627/1995,

धारा–399, 402 भा०द०सं०,

थाना–कोतवाली नगर, जनपद–बहराइच।

निर्णय

अभियुक्तगण रामलाल, त्रिलोकी नाथ, राजकुमार, रियाज अहमद व अरसी के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित अभियोग में थाना–कोतवाली नगर, जनपद–बहराइच की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच ने मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए दिनांक–30.10.1996 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया, जो सत्र परीक्षण संख्या–417/1996 के रूप में पंजीकृत हुआ तथा अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

2. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दौरान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजकुमार को उसकी ओर से प्रस्तुत जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना–पत्र के आधार पर तत्समय जेल में बितायी गई अवधि के दण्डादेश दिनांक–01.02.2000 को पारित करते हुए सह–अभियुक्त का मुकदमा पृथक करके दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया।

3. दौरान विचारण सह–अभियुक्तगण रामलाल, रियाज व राजकुमार की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध मुकदमा उपशमित किया जा चुका है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त त्रिलोकी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उसका मुकदमा पृथक किया गया। अतएव वर्तमान में मात्र अभियुक्त अरसी का विचारण किया जा रहा है।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है किः–

दिनांक–20/21.08.1995 की रात्रि में देखभाल क्षेत्र व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी व तलाश वांछित अभियुक्त के समय पुलिस दल को बाईपास मार्ग गोलवाघाट की तरफ जाते हुए किला के पास बाईपास मार्ग के बांयी तरफ मोहल्ला किला की आबादी की तरफ बने

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.07.17 17:00:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हुए कांजी हाउस के अन्दर से कुछ लोगों की फुस–फुसाहट की आवाज सुनायी पड़ी तथा कुछ रोशनी भी दिखाई पड़ी, जिससे इस बात का शक हुआ कि इस निर्जन व सुन–सान स्थान पर रात्रि के नावक्त में अपराधी या संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति ही होंगे। शक के आधार पर पुलिस दल धीरे–धीरे कांजी हाउस की तरफ बढ़े और कांजी हाउस की पूरबी व दक्षिणी दीवार, जंगली पेंड़ों की झुरमुट में छिपकर देखा गया, तो कांजी हाउस के अन्दर 8–9 व्यक्ति बैठे हुये आपस में धीरे–धीरे बातचीत कर रहे थे तथा बीड़ी पी रहे थे। इसी दौरान उनकी बातचीत से लगा कि यह डकैतों का गिरोह है और कहीं निश्चित रूप से डकैती डालने जा रहा है, तब तक एक ने कहा कि चलो देर करना ठीक नहीं है और यही किले में ही हाजी के यहां डकैती डाल दी जाये, तब तक दूसरे ने कहा कि अबी कुछ और साथी आने हैं, उनका इंतजार कर लिया जाये, तब तक तीसरे ने कहा कि बहुत देर हो रही है। अब देरी करना ठीक नहीं है। हम लोग काफी संख्या में हैं तथा काफी असलहे भी हैं और इतना कहते हुये सभी लोगों ने अपने असलहों को तैयार किया व कुछ ने लोड भी किया तथा सभी लोग उठ खड़े हो गये व डकैती डालने हेतु जाने को तैयार हो गये। बदमाशों के वार्तालाप व हरकतों से पुलिस दल को यह विश्वास हो गया कि यह निश्चित ही डकैतों का गिरोह है और मोहल्ला किला में कहीं किसी हाजी के यहां डकैती डालने जा रहा है। इस पर पुलिस दल ने धाबा बोलकर बदमाशों को पकड़ने हेतु ललकारते हुये आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और काजी हाउस के अन्दर विभिन्न तरफ से धाबा बोलकर बदमाशों पर टूट पड़े तथा आवश्यक बल प्रयोग कर मौके पर ही चार बदमाशों को घेर मारकर करीब 02 बजे पकड़ लिया गया तथा चार बदमाश मौके से अँधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े हुये बदमाशों का नाम, पता पूछा गया एवं उनकी मौके पर जामा तलाशी ली गई, जिनमें से पकड़े गये बदमाश शकील उर्फ टेनी की जामा तलाशी से एक–एक अदद बंदूक एस०बी०बी०एल देशी करीब पौने तीन हाथ लम्बी व चेम्बर से एक जीवित कारतूस एक नम्बर 12 बोर इंडियन आर्डिनेंस फैक्ट्री का एवं पैंट की दाहिनी जेब से एक जीवित कारतूस एल०जी०ई०एल०ई०वाई० 12 बोर, एक कारतूस 12 बोर शक्तिमान हाथ का भरा हुआ व 10/–रूपये बरामद हुआ। रामलाल ठठेर के दाहिने हाथ से एक अदद तमन्चा देशी 12 बोर, चेम्बर से एक अदद जीवित कारतूस 12 बोर, कुर्ते की दाहिनी जेब से एक कारतूस शक्तिमान 12 बोर, एक बंडल में कुछ बिड़िया व माचिस बरामद हुआ। रियाज के पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। राजेन्द्र प्रसाद के दाहिने हाथ से एक अदद डण्डा बांस, पैंट की जेब से एक बंडल में कुछ बिड़िया व माचिस बरामद हुआ। मौके से भागे हुये चार डकैतों का नाम पता पकड़े हुए मुल्जिमों व हमराहियों ने बताया, जिनके नाम इस प्रकार हैं–त्रिलोकी सोनार, अरसी उर्फ अब्दुल मसूद, अज़न व राजकुमार। बरामदशुदा बन्दूक, तमंचा, कारतूस, चाकू, नकदी,

बीड़ी, माचिस को अलग–अलग बंडलों में तथा मौके से मिले बीड़ी, माचिस व उसके टुकड़े को अलग बंडल में सर्व मुहर किया गया। नमूना मुहर तैयार किया गया एवं फर्द तैयार की गई।

5. उक्त फर्द गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना–कोतवाली नगर, जनपद बहराइच पर चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क–1 किता करके मु०अ०सं०–627, 628, 629, 630/1995, अन्तर्गत धारा–399, 402 भा०द०सं० व धारा–25, 4/25 आयुध अधिनियम अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–21.08.1995 को पंजीकृत किया गया, जिसका जी०डी० की कार्बन प्रति प्रदर्श क–2 में खुलासा तत्काल किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

6. विवेचक द्वारा मौके पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार करके उनके पास से बरामद बन्दूक, तमंचा, कारतूस व जामा तलाशी से कुछ नगदी, बीड़ी, माचिस को कब्जे में लेकर फर्द **प्रदर्श क–3** तैयार की गई। घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–4** तैयार किया गया। तत्पश्चात् दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध घटना के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर धारा–399, 402 भा०द०स० का अपराध बखूबी साबित पाते हुए आरोप–पत्र **प्रदर्श क–5** न्यायालय में प्रेषित किया गया।

7. तत्कालीन विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच द्वारा दिनांक–21.03.1998 को अभियुक्तगण रामलाल, त्रिलोकी नाथ, राजकुमार, रियाज अहमद व अरसी के विरूद्ध धारा–399, 402 भा०द०सं० के अपराध में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

8. मामले के विचारण के दौरान अभियुक्त अरसी की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना–पत्र 127–B प्रस्तुत हुआ, जिसमें यह कथन किया गया कि उपरोक्त मुकदमे में उसने अपनी जमानत करवाई थी और पेशी पर आता था, परन्तु पत्रावली न्यायालय पर काफी तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिली। पत्रावली न्यायालय स्पेशल जज ई०सी० एक्ट पर विचाराधीन थी। उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्तगण शकील, रामलाल व रियाज की मृत्यु हो चुकी है और अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार कहार पुत्र त्रिवेणी ने जुर्म इकबल करके मुकदमा समाप्त करवा लिया है। अब मात्र वह एवं त्रिलोकी पुत्र रामबिहारी बचे हैं। पत्रावली काफी पुरानी है। वह गरीब आदमी है। मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। वह स्वेच्छा से अपना जुर्म इकबाल कर रहा है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना किया कि उससे कम से कम जुर्माना लेकर मुकदमा समाप्त किया जाये।

9. अभियोजन की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में केवल अभियोजन साक्षी सं०–1 सेवानिवृत्त एच०सी०पी० मेवालाल को परीक्षित

कराया गया है। अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा शेष अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार कर लिये जाने के कारण अभियोजन साक्ष्य दिनांक–09.07.2026 को समाप्त किया गया।

10. अभियुक्त अरसी का बयान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया तथा कम से कम दण्ड दिये जाने की याचना की।

11. अभियोजन साक्षी संख्या–1 सेवानिवृत्त एच०सी०पी० मेवालाल ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है किः–

मैं दिनांक–21.08.1995 को थाना–कोतवाली नगर, बहराइच में कान्सटेबिल मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उक्त तिथि को वादी मुकदमा शिवशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा दाखिल फर्द बरामदगी, माल मुकदमा के आधार पर चिक संख्या–154/95 पर मुकदमा अपराध सं०–627, 628, 629, 630/95 क्रमशः अन्तर्गत धारा–399/402 भा०द०सं०, धारा–25 आयुध अधिनियम, 25 आयुध अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम में मुल्जिमान के विरुद्ध पंजीकृत किया था और उक्त की कायमी जी०डी० अपने हस्तलेख में लिखकर बरामद माल को मालखाना में तथा अभियुक्त को हवालात में बंद कराया गया। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है, जिसे साक्षी ने देख व पढ़कर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क–1 डाला गया। कायमी जी०डी० में कार्बनप्रति संलग्न पत्रावली है, जिसे साक्षी ने देख व पढ़कर बताया कि यह मेरे द्वारा हस्तलिखित मूल जी०डी० की कार्बनप्रति है। साक्षी ने जी०डी० में लिखे तथ्यों की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

उक्त अभियोजन साक्षी सं०–1 ने बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैं कोतवाली नगर थाने में कब से कब तक तैनात था यह नियुक्ति रजिस्टर देखकर बता सकता हूँ। यह घटना दिनांक–21.08.1995 की है। मेरे पास शिवशंकर सिंह निरीक्षक कोतवाली नगर फर्द बरामदगी लेकर आये थे। मेरे पास फर्द सुबह लेकर आये थे। समय देखकर ही बता सकता हूँ। मुझे याद नहीं है। फर्द निरीक्षक शिवशंकर लिखकर लाये थे। उस फर्द में धारा लिखी थी। फर्द में अपराध संख्या नहीं लिखी हुई थी। फर्द सादे कागज पर लिखा हुआ था। उस फर्द पर मुहर नहीं लगी हुई थी। किन–किन मुल्जिमान के खिलाफ फर्द लिखी गई थी, याद नहीं है। फर्द देखकर बता पाऊंगा। उस फर्द पर अभियुक्तों का टाप लगा था। फर्द में किन अभियुक्तों का हस्ताक्षर था यह टाप लगा था, फर्द देखकर ही बता पाऊंगा,

ऐसे नहीं बता पाऊंगा। उस फर्द में चार अभियुक्तगण के खिलाफ नामजद थी। किन अभियुक्तगण के खिलाफ नामजद थी, फर्द देखकर ही बता पाऊंगा। शिवशंकर जी ने जो फर्द दी थी, उसको मैंने पढ़ा था। मैं फर्द को पढ़ भी रहा था और साथ ही साथ रिपोर्ट दर्ज कर रहा था। उस फर्द पर किन–किन अभियुक्तगण का टाप व दस्तखत था, यह फर्द देखकर बता पाऊंगा। उस फर्द को पढ़ने के बाद मैंने धारा–399, 402 भा०द०सं० व 25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। बरामदशुदा माल को मैंने देखा था। बरामद फर्द में एक 12 बोर बंदूक, एक तमंचा और एक चाकू, 12 बोर का कारतूस तथा बीड़ी–माचिस आदि था। जिस मुल्जिमान को पकड़कर लाये थे उनके हाथों में हथकड़ी नहीं लगी थी। यह कहना गलत है कि मैंने थाने पर अपने मन से रिपोर्ट दर्ज किया था।

12. मैंने विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों व साक्ष्य का गहनतापूर्वक परिशीलन किया।

13. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच द्वारा तर्क दिया गया कि थाना–कोतवाली नगर की पुलिस द्वारा दिनांक–21.08.1995 को रात में करीब दो बजे बहद मोहल्ला–किला, शहर बहराइच, थाना–कोतवाली नगर, बहराइच में कांजी हाउस के अन्दर छिपे हुये बैठे चार सह–अभियुक्तगण शकील उर्फ टेनी, रामलाल ठठेर, रियाज व राजेन्द्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से बन्दूक, तमंचा, कारतूस, चाकू व उनकी जामा तलाशी से बीड़ी–माचिस व नगदी आदि बरामद किया गया। शेष चार अभियुक्तगण मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये। भागे हुये अभियुक्तगण का नाम पकड़े हुये व्यक्तियों ने बताया, जो त्रिलोकी सोनार, अरसी उर्फ अब्दुल मसूद, अज्ञन व राजकुमार कहार थे। अभियोजन साक्षी सं०–1 मेवालाल ने अभियुक्त के विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य दिया है और अभियुक्त अरसी ने अपने कथन अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० में अभियोजन कथानक को स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया जाये।

14. अभियुक्त अरसी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण लगभग 31 वर्ष पुराना है। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया है। अभियुक्त वृद्ध एवं मजदूरी पेशा व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम दण्ड दिया जाये।

15. न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त अरसी के विरुद्ध आरोपित अभियोग अर्थात् अभिकथित तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्त ने सह–अभियुक्तगण के साथ सशस्त्र होकर डकैती के लिए एकत्रित होकर डकैती की तैयारी की, के तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

16. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक–21.08.1995 को रात में करीब दो बजे बहद मोहल्ला–किला, शहर बहराइच, थाना–कोतवाली नगर, बहराइच में अभियुक्त अरसी अपने अन्य साथियों के साथ डकैती कारित करने के उद्देश्य से गिरोह में सम्मिलित हुआ और मोहल्ला–किला में हाजी के घर डकैती डालने की तैयारी में था। पुलिस दल द्वारा मौके पर पहुँचकर चार सह–अभियुक्तगण शकील उर्फ टेनी, रामलाल ठठेर, रियाज व राजेन्द्र प्रसाद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बन्दूक, तमंचा, कारतूस, चाकू व उनकी जामा तलाशी से बीड़ी–माचिस व नगदी आदि बरामद किया गया है। मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल शेष चार अभियुक्तगण का नाम पकड़े हुये व्यक्तियों ने बताया, जिनमें त्रिलोकी सोनार, अरसी उर्फ अब्दुल मसूद(अभियुक्त), अज्ञन व राजकुमार कहार थे। अभियोजन कथानक के समर्थन में अभियोजन साक्षी सं०–1 मेवालाल परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपने बयान में वादी मुकदमा शिवशंकर सिंह, प्रभारी निरीक्षक द्वारा दाखिल फर्द बरामदगी, माल मुकदमा के आधार पर अपराध सं०–627, 628, 629, 630/1995 क्रमशः अन्तर्गत धारा–399, 402 भा०द०सं०, धारा–25 आयुध अधिनियम, 25 आयुध अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम के मामले में अभियोग पंजीकृत करने, कायमी जी०डी० अपने हस्तलेख में लिखकर बरामद माल को मालखाना में, अभियुक्त को हवालात में बंद कराये जाने का अभिकथन करते हुए चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क–1 एवं कायमी जी०डी० की कार्बन प्रति को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। अभियुक्त की ओर से उक्त अभियोजन साक्षी सं०–1 से विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गयी है, परन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभाष प्रकाश में नहीं आया है, जो साक्षी की विश्वसनीयता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो। बचाव पक्ष द्वारा शेष अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है। अभियुक्त अरसी ने अपने कथन धारा–313 द०प्र०सं० में आरोपित अभियोग को स्वेच्छा से स्वीकार किया है।

17. न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान अभियुक्त अरसी द्वारा जिला कारागार, बहराइच में पूर्व बितायी गई अवधि के सम्बन्ध में अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच से आख्या आहूत की गई, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अभियुक्त अरसी द्वारा दिनांक–27.08.1995 से दिनांक–08.05.1997 तक पूर्व में विचाराधीन बन्दी के रूप कुल 01 वर्ष 08 माह 12 दिन तक तथा वर्तमान में दिनांक–03.04.2026 से दिनांक–20.04.2026 तक कुल 18 दिन तक तथा संयुक्त रूप से कुल 01 वर्ष 09 माह उक्त वाद में इस कारागार में व्यतीत करना उल्लिखित है।

18. इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं०–1 मेवालाल के बयान एवं अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष

अभियुक्त अरसी के विरुद्ध धारा–399, 402 भा०द०सं० का आरोप सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है।

19. उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त अरसी धारा–399, 402 भा०द०सं० के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण सं०–417/1996, राज्य उ०प्र० प्रति रामलाल आदि, अपराध सं०–627/1995 के मामले में अभियुक्त अरसी को धारा–399, 402 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अतः उसके द्वारा पूर्व में दाखिल बन्धपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु भोजनावकाश उपरान्त पेश हो।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
Id. No.–UP2017

दिनाँकः 17.07.2026

दिनांक–17.07.2026

(भोजनावकाश उपरान्त)

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पेश हुई। अभियुक्त अरसी न्यायिक अभिरक्षा में प्रस्तुत किया गया। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि वह वृद्ध एवं मजदूरी पेशा व्यक्ति है। उसके मामले की पैरवी करने वाला कोई नहीं है। प्रकरण अति प्राचीन है। उसने अपना अपराध स्वेच्छा से स्वीकार किया है। याचना किया कि उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच द्वारा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अधिकतम दण्ड देने का कथन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 1996 से लम्बित है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त अरसी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को अभियोजन की ओर से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। अभियुक्त अरसी ने अपने कथन अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० में अपराध को स्वीकार किया है। अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच की आख्यानुसार अभियुक्त अरसी द्वारा जिला कारागार, बहराइच में पूर्व में 01 वर्ष 09 माह व्यतीत किया जाना अंकित है। अभियुक्त की शारीरिक अवस्था, अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति, प्रकरण की प्राचीनता, आरोपित अभियोग एवं अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की राय में दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्ण एवं नम्र रूख अपनाते हुए अभियुक्त अरसी द्वारा जिला कारागार, बहराइच में पूर्व में बितायी गई उक्त अवधि के दण्ड से एवं जुर्माने से दण्डित किया जाना न्यायोचित एवं समीचीन होगा। अतएव न्यायालय की राय में अभियुक्त को निम्न वर्णित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित हैः–

दण्डादेश

सत्र परीक्षण सं०–417/1996, राज्य उ०प्र० प्रति रामलाल आदि, अपराध सं०–627/1995 के मामले में अभियुक्त अरसी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–399 के आरोप में दोषी पाते हुए उसके द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि के कारावास एवं मु० 2,000/–(दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त पन्द्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

उपरोक्त वर्णित मुकदमे में अभियुक्त अरसी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–402 के आरोप में दोषी पाते हुए उसके द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि के

कारावास एवं मु० 2,000/–(दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त पन्द्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

अभियुक्त के द्वारा धारा–437(ए) द०प्र०सं० के अन्तर्गत बंधपत्र व जमानतनामें प्रस्तुत किये गये हैं, जो 06 माह के लिए वैध रहेंगे।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि इस निर्णय के विरुद्ध अपील योजित होने की दशा में, वह माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा विहित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होगा। अपील न होने की दशा में छः माह की अवधि समाप्त होने के उपरान्त उक्त बन्धपत्र एवं जमानतनामे स्वतः निरस्त हो जायेंगे एवं तदनुसार प्रतिभूगण उत्तरदायित्व से उन्मोचित हो जायेंगे।

इस निर्णय/आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(राजेश कुमार सिंह)
दिनाँकः 17.07.2026 **सत्र न्यायाधीश, बहराइच।**
Id. No.–UP2017

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार सिंह)
दिनाँकः 17.07.2026 **सत्र न्यायाधीश, बहराइच।**
Id. No.–UP2017